



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55296

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6041/2026

प्रियंका सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: अभिनव यादव, कैलाश नाथ, प्रभाकांत सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या- 69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश नाथ के संक्षिप्त में अधिवक्ता श्री पी.के. सिंह, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री रोशन कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 489/2020, आईपीसी की धारा 406, 419, 420, 467, 468, 471, 120बी, थाना नवाबाद, जिला झांसी में सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ तत्काल जमानत आवेदन दायर किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि प्राथमिकी में आवेदक के खिलाफ आरोप यह है कि आवेदक ने दूसरे सह-आरोपी लोगों के साथ मिलकर, जे.के.वी. लैंड डेवलपर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, का डायरेक्टर होने के नाते, पहले सूचना देने वाले और दूसरे निवेशकों को कंपनी में पैसा लगाने के लिए मनाया और भारी रिटर्न का भरोसा दिलाया, लेकिन उसके बाद, कंपनी के बांड की परिपक्वता पर होने पर, पहले सूचना देने वाले और दूसरे निवेशकों को कोई पैसा नहीं दिया गया।

4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक ने साल 2011 में उस कंपनी से इस्तीफा दे दिया था, जिसे साथ में दिए गए हलफनामा के पेज 44 पर दिए गए फॉर्म 32 से सत्यापित किया जा सकता है। यह भी बताया गया है कि आवेदक 2011 के बाद किसी भी तरह से उस कंपनी से जुड़ी नहीं थी और उसे सिर्फ इसलिए झूठा फंसाया गया है क्योंकि वह संबंध प्रबंधक राकेश कुमार सिंह की पत्नी है, जिन्हें इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 42039/2021 में दिनांक 08.03.2022 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा भी कर दिया था। इसलिए, आवेदक, एक महिला होने के नाते, जमानत पर रिहा होने की भी हकदार है। उन्होंने अंत में कहा कि पुलिस ने आरोप पत्र दायर कर दिया है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक ने 21 मामलों के आपराधिक इतिहास के बारे में बताया है जो निवेशकों द्वारा दर्ज किए गए वर्तमान मामले के समान प्रकृति के हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आवेदक उक्त कंपनी का निदेशक था। वह 08.01.2026 से जेल में है। यदि उसे जमानत मिलती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

5. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अपर महाधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया, लेकिन ऊपर बताए गए तथ्यों को चुनौती नहीं दे सके।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदिका एक महिला है तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को देखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदिका जमानत पर रिहा होने की हकदार है।

7. उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदिका- प्रियंका सिंह को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए, एक व्यक्तिगत मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य प्रकट करने से हतोत्साहित हो या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग के परीक्षण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. आवेदक को जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए या कोई अपराध नहीं करना चाहिए।

iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

8. यदि उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. बॉन्ड स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण संबंधित अदालत द्वारा सत्यापित किए जाएं।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किए जाने के आधार पर इस वचन के साथ रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

11. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

12. कार्यालय को यह आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित जेल अधीक्षक के ज़रिए आवेदक को ई-मेल या ई-प्रिज़न पोर्टल के माध्यम से भेजी जाए, ताकि जमानत देने की नीति रणनीति मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 31.01.2023 के आदेश का पालन हो सके, जो स्वप्रेरणा रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 4/2021 से संबंधित है और (2024) 10 एससीसी 685 में निपटारा किया गया।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

18 मार्च 2026

ए.के.आर.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"